न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
57 / 2021	05.07.2021	16.8.22

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति हरविन्दर सिंह डी (आर.ए.एस.)

उनवान

1– महेन्द्र कुमार आत्मज छीतरलाल जाति बेरवा निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1– चोथमल आत्मज किशोर
2– धन्नीबाई पत्नी किशोर
3– मंजू पुत्री किशोर
4– संतोष पुत्री किशोर
जाति मेघवाल निवासीगण सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
5– कोशल्या बाई पुत्री मोतीलाल जाति मेघवाल निवासी सीमलिया तह0 दीगोद
6– मदनलाल आत्मज मथुरालाल जी जाति मेघवाल निवासी सीमलिया तह0 दीगोद
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(अप्रार्थीगण)

1– प्रार्थी की ओर से– श्री भारत शर्मा एडवोकेट
2– अप्रार्थीगण – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

प्रार्थीगण ने उपरोकत शीर्षक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है।

यह कि ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा में अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 902 की 0.54 हेक्टर भूमि प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 4 के शामलाती खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 संलग्न है।

ह0

यह कि ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 903 की 0.54 हेक्टर भूमि प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 5 ता 6 के शामलाती खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 संलग्न है।

यह कि पूर्व में खसरा नम्बर 903 की 0.54 हेक्टर भूमि अन्य खातेदार के खाते में दर्ज चली आ रही थी किन्तु उसका कब्जा मौके पर खसरा नम्बर 902 की 0.54 हेक्टर पर था, इस कारण प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 5 व 6 को पूर्व खातेदार द्वारा खसरा नम्बर 902 की भूमि पर ही दिया गया था क्योंकि खसरा नम्बर 902 903 की भूमि पर मोके पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा था। खसरा नम्बर 902 की भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षीगण के नाम दर्ज है किन्तु खसरा नम्बर 902 पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा नहीं है बल्कि खसरा नम्बर 903 की भूमि पर है।

यह कि चूँकि दोनों खसरा नम्बरान की भूमि का रकबा बराबर है मौके पर प्रार्थी व प्रतिपक्ष नं0 5 व 6 का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 902 पर है व प्रतिपक्षीगण का कब्जा काश्त मौके पर खसरा नम्बर 903 पर है इस कारण राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 902 को खसरा नम्बर 903 दर्ज किया जाना व खसरा नम्बर 903 को खसरा नम्बर 902 दर्ज किया जाकर दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त तथ्य की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दी गयी तब प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 4 से उक्त दुरूस्ती नक्शा ट्रेस में कराने के लिये दिनांक 2.07.2021 को कहा तो प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 4 ने उक्त प्रकार से दुरूस्ती कराने, खसरा नम्बर 903 पर से कब्जा छोडने से इन्कार करते हुये खसरा नम्बर 902 की भूमि को रहन बेचान करने व प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देने पर विवाद उत्पन्न हुआ है।

यह कि यदि प्रतिपक्षीगण ने खसरा नम्बर 902 की भूमि को रहन बेचान कर दिया गया व प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया तो इससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकती ।

यह कि प्रार्थी का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्व एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 4 ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 902 की 0.54 हेक्टर भूमि को रहन बेचान व अन्तरण नहीं करे, मोके पर से प्रार्थी के खसरा नम्बर 902 की भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पेदा नही करे तथा उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। मोका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम सीमलिया
2– नकल जमाबन्दी ग्राम सीमलिया सम्वत 2075–2078
3– नकल नक्शा ट्रेस
4– नकल इकरारनामा दिनांक 25.07.2015
5– नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 ग्राम सीमलिया

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु वादी अधिवक्ता बंद किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री हरिशंकर मेघवाल एड0 द्वारा कालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी क्रम 6 की ओर से श्री पंकज मेघवाल एड0 द्वारा कालतनामा पेश किया गया। पत्रावली की आदेशिका अनुसार प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.09.2021 के निर्देश की पालना नहीं करने पर दिनांक 03.02.2022 को पूर्व में जारी स्थगन को आगे नहीं बढाने बाबत आर्डरशीट में निर्देशित किया गया।

अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से स्थगन अवधि नही बढाने बाबत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्णतः अस्वीकार कर विशेष कथन किया कि:—

यह कि प्रार्थी (वादी) द्वारा माननीय न्यायालय में गलत तथ्य वताकर न्यायालय को गुमराह करते हुये एक तरफा स्थगन प्राप्त कर लिया गया है। अप्रार्थी खसरा नम्बर 902 के रेकार्डेड खातेदार है उक्त भूमि प्रतिवादी (अप्रार्थी) के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

यह कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी (वादी) को अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी से पेश करने के आदेश दिये गये थे जो प्रार्थी(वादी) स्वंय की जिम्मेदारी थी। वादी द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर स्टे आर्डर आगे नहीं बढाया गया।

यह कि वादी (प्रार्थी) द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुये वाद पेशी 19.05.2022 जेरकार थी ओर वादी द्वारा रजि0एडी0 दिनांक 18.05.2022 को जारी कि गई जिस कारण तामील नही हो पायी है। मात्र एक दिन का समय दिया गया जो विधि विरूद्व है। जिस कारण न्यायहित में जब तक प्रोपर तामील नही कि जाती तब तक उक्त स्थगन कि अवधि नहीं बढाई जावे।

यह कि शेष तथ्य बहस वक्त निवेदन कर दिये जावेगे।

अतः जवाब प्रा0पत्र स्थगन अवधि नहीं बढाने का स्वीकार किया जाकर वादी का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना जाकर वादी (प्रार्थी) अधिवक्ता को विधिवत तामिल करवाकर प्रार्थना पत्र में आगे की तारीख वास्ते प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

अप्रार्थीगण क्र 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वादी अधिवक्ता को जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवायी गये। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समस्त मदों को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन निम्नानुसार किया गया:—

1— यह कि खसरा नम्बर 1086/781, खसरा नम्बर 1208/847, खसरा नम्बर 779, खसरा नम्बर 780, खसरा नम्बर 847, व खसरा नम्बर 902 रकबा 0.54 हेक्टर कुल 6 किता रकबा 2.43 हे0 वाके ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद की आराजी अप्रार्थी 1 लगायत 4 के खातेदारी रेकार्ड में दर्ज है, अप्रार्थी क्रम 2 माता धन्नी बाई द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी 1 के पक्ष में हक त्याग कर दिया है उक्त आराजी पर हमेशा अप्रार्थी क्रम 1 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

2— यह कि उक्त आराजी पूर्व में अन्य आराजीयात के साथ शामलाती खाते में दर्ज थी, पूर्व सहखातेदार जगन्नाथ द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के यहां धारा 53, 188 आर टी एक्ट बउनवान जगन्नाथ बनाम मदनलाल नाम से वाद पेश किया गया जो माननीय न्यायालय के दर्ज रजिस्टर संख्या 30/2015 पर दर्ज किया गया जो उक्त वाद

अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान की आपसी सहमति से दिनांक 29.06.2015 को मिट्स ग्राउण्ड से सभी सह खातेदारान के मध्य बंटवारा करते हुए वाद डिक्री कर दिया गया उक्त डिक्री से खसरा नम्बर 902 रकबा 0.54 भूमि अप्रार्थी का कब्जा काश्त होने से अप्रार्थी को बंटवारे में प्राप्त हो गई।

यह कि वादी प्रार्थी एक अजनबी क्रेता है जिसके द्वारा अप्रार्थी क्रम 6 मदनलाल से खरीद किया गया खसरा नम्बर 903 रकबा 0.54 हेक्टर भूमि पर कब्जा दिया गया ओर खसरा नम्बर 903 रकबा 0.54 हे0 भूमि का वादी प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है , वादी प्रार्थी के मन में बदनियति आने से व लडाकू झगडालू पृवति का व्यक्ति होने से अप्रार्थी की आराजी खसरा नं0 902 रकबा 0.54 हेक्टर भूमि पर कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करता है जब कि वादी प्रार्थी का खसरा नम्बर 902 रकबा 0.54 हेक्टर भूमि का कोई लेना देना नहीं है।

यह कि वादी प्रार्थी द्वारा न्यायालय में गलत तथ्य बताकर न्यायालय को गुमराह करते हुए अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 902 रकबा 0.54 हेक्टर भूमि पर न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है ओर उक्त स्थगन के आधार पर प्रार्थी (वादी) द्वारा अप्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 902 रकबा 0.54 हेक्टर भूमि में अप्रार्थी की उडद की फसल को ट्रैक्टर से हांक कर नष्ट कर दिया गया जिसकी रिपोर्ट अप्रार्थी द्वारा थाना सीमलिया में करवाई है।

यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मनगढन्त बनावटी तथ्य बताकर न्यायालय से प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 902 रकबा 0.54 हे0 व खसरा नं0 903 रकबा 0.54 हे0 की आराजी को नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवाने का वाद पेश किया है जो विधि विरूद्व है। क्यों दुरूस्ती का वाद सेटलमेन्ट केचमेन्ट की त्रुटि बाबत पेश किया जाता है जब कि उक्त भूमि अन्य पूर्व के सहखातेदारान की आपसी सहमति से न्यायालय के आदेश व डिक्री से बंटवारा हुआ है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अतःअप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी प्रार्थी का उकत प्रार्थना पत्र सव्यय खरिज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी क्रम 6 की ओर से निम्न जवाब पेश किया गयाः—

यह कि प्रार्थना पत्र की समस्त चरणों को स्वीकार किया जाकर विशेष कथन निम्नानुसार किया गयाः—

यह कि ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 903 रकबा 0.54 हेक्टर भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण 4 व 5 के खाते दर्ज चली आ रही है जो खसरा नम्बर 902 भी खसरा नम्बर 903 के लगवा है। जो हमारे पारिवारिक पूर्व में बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 902 पर विगत 40 वर्षो से हमारे पूर्वजो से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है।

यह कि प्रतिवादी नं0 1 ता 4 का खसरा नम्बर 902 रकबा 0.54 हेक्टर पर कभी भी कब्जा नही रहा है , न हीं इनके पूर्वजों का कब्जा रहा है , न ही इनके कब्जे काश्त में उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा रहा है। सिर्फ खसरा नम्बर 903 रकबा 0.54 हेक्टर पर कब्जा रहा है इसी पर ही प्रतिवादी नं0 1 लायत 4 काजि काश्त चले आ रहे है।

यह कि प्रतिवादी नं0 5 व 6 व अन्य खातेदारों ने प्रार्थी को उक्त आराजी का बेचान किया है तथा जो हमारा व अन्य सह खातेदारों का खसरा नम्बर 902 पर कब्जा था उस पर प्रार्थी को हमने कब्जा संभलाया है अभी वर्तमान में ही प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। चूँकि बंटवारा व डिक्री में प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के खसरा नम्बर 902 दर्ज हो जाने

6.8.12

का फायदा उठा रहा है जबकि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 का 903 पर कब्जा चला आ रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के कथनों को दोहराया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का गहन अध्ययन व अवलोकन किया गया।

विवादित आराजी में खसरा नम्बर 902 एवं 903 का समान रकबा है। उभय पक्ष के खातेदारान के मध्य कब्जा काश्त को लेकर विवाद चला आ रहा है जो साक्ष्य से प्रमाणित होने का विषय है न कि प्रार्थना पत्र से विवादित आराजी पर घोषणा करवाने के अधिकारी है या नहीं। यह प्रमुखतया वाद के विचारणीय बिन्दु है, जिसका विनिश्चय विवाद्यक बिन्दुओं के सम्यक विनिश्च पश्चात मेरिट पर ही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं अभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का गहन अध्ययन एवं मनन करने पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नजर नहीं आता है तथा अपूरणीय क्षति होना भी प्रार्थी को संम्भावना नहीं है। उक्त विवादित आराजी को लेकर उभय पक्ष द्वारा संलग्न पत्रावली है को साक्ष्य से प्रमाणित होने का विषय हे न कि प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है या नहीं। यह प्रमुखतया वाद के विचाणीय बिन्दु है, जिसका विनिश्चय विवाद्यक बिन्दुओं के सम्यक विनिश्च पश्चात मेरिट पर ही किया जाना उचित है। प्रार्थीगण (वादी) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में पूर्णतया सफल नहीं हुये है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किस आधार पर पूर्व में एक पक्षीय बहस सुने जाने पर जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। चूँकि पूर्व में दिनांक 05.07.2021 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खातेदार के विरूद्व एक पक्षीय सुना जाकर जारी की गई थी जिसमें प्रार्थी (वादी) अपना पक्ष रखने में सफस सिद्व नहीं हो पाये है। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र पर मनन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन करने पर यह मानते हे कि प्रार्थीगण को पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना ही वाद से संबंधित विषयवस्तु के क्रम में उचित है।

अतः समुचित कारणाभाव तथा साक्ष्याभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण (वादी) का खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 16.8.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

ह०/-
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद